भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4238
दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 को उत्तर के लिए

तेजाब हमले के पीड़ितों का पुनर्वास

4238. श्रीमती किरण खेरः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों में तेजाबी हमलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;
(ख) क्या सरकार ने तेजाब हमले से पीड़ितों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने के लिए कोई तंत्र बनाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सभी राज्य सरकारों ने ऐसे पीड़ितों को कानूनी और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए एक पीड़ित मुआवजा योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) तेजाब हमले के पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक, कानूनी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) : राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपराधों पर आंकड़े संकलित करता और अपने प्रकाशन "भारत में अपराध" में इनका प्रकाशन करता है । वर्ष 2017 तक प्रकाशित रिपोर्टें उपलब्ध हैं । पिछले तीन वर्षों में दर्ज तेजाब से हमलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है ।

(ख) और (ग) : 'पुलिस' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' भारत के संविधान के सातवीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं । कानून और व्यवस्था बनाए रखने, नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है । राज्य सरकारें कानून के संगत प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने में सक्षम हैं । तथापि, गृह मंत्रालय आईपीसी के प्रावधानों को लागू करने के लिए कदम उठाने, तेजाब के हमलों के मामलों को तेजी से निपटाने, और पीड़ितों को इलाज और क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए 20 अप्रैल, 2015 को एक व्यापक एडवाइजरी जारी की है । यह एडवाइजरी www.mha.gov.in पर उपलब्ध है । गृह मंत्रालय ने संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में तेजाब की बिक्री को नियमित करने के लिए 30.08.2013 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मॉडल प्वाइज़न रूल्स प्रचारित कर उन्हें अधिसूचित करने को कहा है ।

आईपीसी की धारा 166बी (अपराध प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 357सी के साथ पठित) के अनुसार किसी भी तेजाब के हमले से पीड़ित को सार्वजनिक या निजी किसी भी अस्पताल द्वारा किसी भी बहाने से उपचार के लिए मना नहीं किया जाएगा और विधायी प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले दोषी अस्पताल/क्लिनिक एक वर्ष तक की सजा या जुर्माना अथवा दोनों के भागी होंगे । सीआरपीसी की धारा 357सी में यह भी प्रावधान है

कि तेजाब के हमले से पीड़ितों को मुफ्त उपचार उपलब्ध कराया जाए । सीआरपीसी की धारा 357ए में प्रावधान है कि पीड़ितों को पीड़ित क्षतिपूर्ति स्कीम के तहत क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाना है । साथ ही सीआरपीसी की धारा 357बी में प्रावधान है कि धारा 357ए के तहत दी जाने वाली क्षतिपूर्ति पीड़ित को जुर्माने के भुगतान के अतिरिक्त होगी ।

इसके अलावा, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पीड़ित क्षतिपूर्ति स्कीम अधिसूचित की है । केंद्रीय पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि (सीवीसीएफ) के अंतर्गत राज्य पीड़ित क्षतिपूर्ति स्कीम की सहायता के लिए निर्भया निधि से 2016-17 में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता एकबारगी अनुदान के रूप में जारी की गई है । माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने यौन हमले की महिला पीड़ितों के लिए मौजूदा पीड़ित क्षतिपूर्ति स्कीम में शामिल करने के लिए "यौन हमला/अन्य अपराधों के महिला पीड़ितों/उत्तरजीवियों के लिए क्षतिपूर्ति स्कीम 2018' नामक एक उप-स्कीम तैयार की, जिसमें तेजाब के हमलों के मामले भी शामिल किए गए हैं । माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार तथा राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को स्कीम का व्यापक स्तर पर प्रचार करने तथा सही मायने में स्कीम को लागू करने का निर्देश दिया । यह कार्यान्वयन तथा व्यापक स्तर पर प्रचार करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अग्रेषित किया गया ।

(घ) : भारत सरकार वन स्टॉप सैंटर (ओएससी) और महिला हैल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) के सार्वभौमीकरण स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही है । ओएससी का उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक स्थान पर समेकित सेवाएं जैसे पुलिस सहायता, चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और कानूनी काउंसलिंग, मनोवैज्ञानिक-सामाजिक काउंसलिंग, अस्थायी आश्रय इत्यादि प्रदान करना है । 'महिला हैल्पलाइन का सार्वभौमीकरण स्कीम' शॉर्ट कोड 181 के माध्यम से सार्वजनिक और निजी दोनों ही स्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को उन्हें उपयुक्त विभागों जैसे पुलिस, वन स्टॉप सैंटर, अस्पताल, कानूनी सेवाओं इत्यादि से जोड़ते हुए 24 घंटे आपात और गैर-आपात सहायता उपलब्ध कराती है । डब्ल्यूएचएल देशभर में महिला कल्याण स्कीमों और कार्यक्रमों के बारे में सूचना प्रदान करने के अलावा आपदाग्रस्त महिलाओं को राहत वैन और काउंसलिंग सेवाओं के जरिए भी मदद करती है । इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तेजाब के हमलों से पीड़ितों सहित कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं को राहत और पुनर्वास के लिए स्वाधार गृह स्कीम का भी संचालन कर रहा है ।

*****

अनुलग्नक

'तेजाब हमले के पीड़ितों का पुनर्वास' विषय पर श्रीमती किरण खेर द्वारा दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4238 के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित विवरण

2015-2016 के दौरान महिलाओं के प्रति अपराधों के तहत तेजाब हमलों के मामले में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दर्ज मामले (सीआर)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2015	2016	2017
1	आंध्र प्रदेश	11	3	2
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3	असम	1	8	3
4	बिहार	5	2	4
5	छत्तीसगढ़	0	0	0
6	गोवा	0	1	0
7	गुजरात	3	6	4
8	हरियाणा	3	8	4
9	हिमाचल प्रदेश	1	0	2
10	जम्मू और कश्मीर	0	0	1
11	झारखंड	0	0	0
12	कर्नाटक	1	2	2
13	केरल	5	9	9
14	मध्य प्रदेश	5	4	5
15	महाराष्ट्र	6	2	2
16	मणिपुर	0	0	1
17	मेघालय	0	0	0
18	मिजोरम	0	0	0
19	नागालैंड	0	0	0
20	ओडिशा	5	12	11
21	पंजाब	2	5	4
22	राजस्थान	0	2	3
23	सिक्किम	0	0	0
24	तमिलनाडु	7	1	3
25	तेलंगाना	1	0	1
26	त्रिपुरा	0	1	0
27	उत्तर प्रदेश	51	44	41
28	उत्तराखंड	0	0	3
29	पश्चिम बंगाल	20	40	35
30	अंडमान और निकोबार द्वीप	0	0	0
31	चंडीगढ़	0	0	0
32	दादरा एवं नागर हवेली	0	0	0
33	दमन और दीव	0	0	0
34	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	13	10	8
35	लक्षद्वीप	0	0	0
36	पुद्दुचेरी	0	0	0
	कुल	140	160	148

******